न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय शेखपुरा

उपस्थितः-

सर्वेन्द्र प्रताप सिंह
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
शेखपुरा।

निर्णय/दिनांक- 08 जून, 2026

वैवाहिक पुनर्स्थापना वाद सं0-17/2025

अन्तर्गत धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम

गौतम कुमार, पिता-नवल साव,

साकिन- तरछा, वार्ड नं0-27, थाना व जिला- शेखपुरा।

.... आवेदक।

बनाम्

शशि कुमारी, पिता- बालो साव,

साकिन- अलीगंज धनमा, थाना-चन्द्रदीप, जिला- जमुई।

.... विपक्षी।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता- शक्तिधर प्रसाद सिंह।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता- एकपक्षीय।

नि र्ण य

(1). प्रस्तुत वाद आवेदक गौतम कुमार की ओर से परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 09 के अंतर्गत वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है।

(2). संक्षेप में, आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन में अभिकथन किया गया है कि आवेदक गौतम कुमार की शादी दिनांक- 23.03.2023 को शशि कुमारी, पिता-बालो साव, ग्राम- अलीगंज धनमा, थाना- चन्द्रदीप, जिला-जमुई के साथ दोनों परिवारों की उपस्थिति में प्रचलित हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ। शादी के बाद विपक्षी शशि कुमारी विदा होकर आवेदक गौतम कुमार के साथ अपने ससुराल ग्राम-तरछा, वार्ड नं0- 27 थाना व जिला- शेखपुरा आयी और विपक्षी शशि कुमारी अपने पति आवेदक के साथ ससुराल मुहल्ला-तरछा वार्ड नं0- 27 शेखपुरा में रहने लगी। विपक्षी आवेदक के साथ कुछ दिन तक ठीक-ठाक से रही उसके बाद विपक्षी हमेशा अपने गांव के एक लड़का से फोन पर बातचीत करते रहती थी। आवेदक ने इस बात की जानकारी विपक्षी के परिवार वालों को बताया और विपक्षी को उनके परिवार वालों से फोन पर बातचीत कराया, फोन पर बात कराने के बाद

न्यायालय : श्री सर्वेन्द्र प्रताप सिंह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय शेखपुरा
वैवाहिक पुनर्स्थापना वाद सं0- 17/2025
(गौतम कुमार----बनाम---शशि कुमारी)

विपक्षी का रवैया आवेदक के प्रति खराब हो गया और विपक्षी हमेशा आवेदक के साथ वाद विवाद करते रहती थी। आवेदक की मां ने विपक्षी से मोबाईल ले लिया था उसके बाबजूद भी विपक्षी बराबर कहां से चोरी छिपे मोबाईल लाकर बातचीत करते रहती थी। आवेदक सोचा की विपक्षी का रवैया आगे जाकर सब ठीक हो जायेगा। जबकि विपक्षी को चाल चलन में कोई सुधार नहीं हुआ। आवेदक एवं विपक्षी के दाम्पत्य जीवन से एक बच्चा हुआ। जिसका नाम आर्यन कुमार उम्र-03 माह है। बच्चा के जन्म लेने के बाद बच्चा को हमेशा तबियत खराब रहता था। जिस कारण से आवेदक ने अपने बच्चे एवं परिवार का देखभाल भरण पोषण करने हेतु बाहर मजदूरी करने चला गया था। आवेदक की मां बराबर बच्चा को लेकर डॉक्टर के यहॉं आना जाना करते रहती लेकिन विपक्षी अपना बच्चा को कोई देखभाल नहीं करती जब इस बात का विरोध आवेदक की मां करती तो विपक्षी वाद विवाद करने पर उतारु हो जाती। दिनांक- 26.12.2024 को समय 03:00 बजे विपक्षी आवेदक की मां को बोली की तबीयत खराब है दवा लाकर दीजिए। आवेदक की मॉं विपक्षी का दवा लाने के लिए बाजार गई और दवा लेकर घर आयी तो देखी की विपक्षी एवं विपक्षी का बच्चा नही है। सभी घर में खोजबीन करने लगी लेकिन विपक्षी एवं विपक्षी का बच्चा नहीं था तथा घर में रखा बक्सा का ताला टूटा हुआ है। बक्सा में रखा हुआ दस भर चांदी का पायल, आठना भर सोने का झूमका, चार अना भर सोने का टीका, छः आना भर सोने की कानबाली, तीन भर सोने की सिकड़ी विपक्षी शशि कुमारी चोरी कर तीन माह के बच्चा को लेकर भाग गई। आवेदक की मां ने आवेदक को सारी बात बताई तो आवेदक की मां और आवेदक मिलकर विपक्षी को खोजबीन करने लगे, खोजबीन के क्रम में पता चला की विपक्षी अपना बच्चा को लेकर प्रेमी रितेश कुमार के साथ नैहर चली गई है। दिनांक- 28.12.2024 को आवेदक एवं आवेदक के माता-पिता एवं अन्य लोग विपक्षी के ग्राम- अलीगंज धनमा में पंचायती करने के लिए गयी और पंचायत किए लेकिन विपक्षी आवेदक के साथ रहने के लिए साफ इंकार कर गयी विपक्षी पंचायत का भी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं हुई। आवेदक ने दिनांक-02.01.2025 को विपक्षी को वकालतन नोटिस दिया वकालतन नोटिस विपक्षी ने प्राप्त कर लिया लेकिन कोई जबाव नहीं दी। आवेदक ने कई बार विपक्षी को फोन पर सूचना सम्पर्क किया परन्तु विपक्षी आवेदक के साथ रहने से साफ इंकार कर गयी। आवेदक विपक्षी के अलगाव एवं वियोग में मानसिक एवं शारीरिक रूप से चिंतित है। आवेदक एवं विपक्षी अंतिम बार पति पत्नी एक साथ दिनांक- 20.10.2024 को मुहल्ला- तरछा वार्ड नं0- जिला- शेखपुरा में रही है। दिनांक- 23.03. 2023 को आवेदक की शादी विपक्षी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था तथा विपक्षी आवेदक के साथ अंतिम बार मुहल्ला- तरछा, वार्ड नं0- 27, जिला-शेखपुरा में रही जो इस श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। वाद हेतुक दिनांक- 23.03.2023 को उत्पन्न हुआ जब आवेदक की शादी विपक्षी के साथ हुआ तथा दिनांक- 26.12.2024 को विपक्षी अपने नैहर चली गयी और विपक्षी आवेदक के साथ रहने से साफ इंकार कर दी। उसके बाद उक्त वाद श्रीमान् के समक्ष लाना पड़ा। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त वैवाहिक पुनर्स्थापन वाद को स्वीकार करते हुए आवेदक के वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापित करने का आदेश पारित करते हुए आवेदक के पक्ष में डिक्री जारी किया जाय।

न्यायालय : श्री सर्वेन्द्र प्रताप सिंह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय शेखपुरा

वैवाहिक पुनर्स्थापना वाद सं0– 17/2025

(गौतम कुमार-----बनाम---शशि कुमारी)

(3). इस वाद में विपक्षी शशि कुमारी अनुपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति हेतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19-03-2025 को डी0 बी0 नं0-144/2025 एवं दिनांक 19-12-2025 को डी0 बी0 नं0-563/2025 के द्वारा नजारत नोटिस, दिनांक 20.03. 2025 एवं दिनांक-07.01.2026 के द्वारा रजिस्ट्र्ड नोटिस निर्गत किया गया है तथा वादी की ओर से दिनांक-02.03.2026 को Track Consignment Report दाखिल किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को रजिस्ट्री नोटिस प्राप्त हो चुका है, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए हैं। फलस्वरूप दिनांक 11-03-2026 के आदेशानुसार इस वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

(4). आवेदक की ओर से कुल 02 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जो साक्षी सं0-1 टुन्नी देवी एवं साक्षी सं0-2 गौतम कुमार हैं। इसके अलावा आवेदिका की ओर से शादी का कार्ड दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर है।

(5). अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ? क्या प्रतिवादी बिना उचित कारण के वादी से अलग रह रही है तथा क्या आवेदक विवाह पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

(6). आवेदक साक्षी सं0-1 टुन्नी देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि गौतम कुमार मेरा बड़ा लड़का है। उसकी शादी वर्ष 2023 को शशि कुमारी, पिता- बालो साव, ग्राम-अलीगंज, जमुई के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न किये थे। शादी के बाद मेरी बहू मेरे घर आई थी और वह एक वर्ष रही थी, इस दौरान वह मोबाईल से दूसरे से बात करती थी। उसके बाद उसकी शिकायत उसके माता-पिता को किये थे, परन्तु वह नहीं मानी। तब दोनों पक्षों के बीच पंचायती हुई परन्तु वह उस लड़के रितेश कुमार से बात करने से इंकार नहीं की। उसके बाद दोनों के दाम्पत्य जीवन से एक बच्चा हुआ। वह बच्चा बहुत बीमार रहता था, जिसका ईलाज हमलोग कराये थे। बच्चे का दवा लाने के लिए अपने घर तरछा से बाजार गये, तब शशि कुमारी, दिनांक- 26.12.2024 करीब 3 बजे दिन में वह अपने बच्चे एवं जेवर, गहना लेकर भाग गई। हमलोग काफी खोजबीन किये परन्तु कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमलोग लड़की के घर फोन किया, तब पता चला कि लड़की मेरे लड़के के साथ रहना नहीं चाहती है, वह उसी लड़के रितेश कुमार के साथ चली गई है। दोनों पक्षों के बीच ग्राम-अलीगंज धनमा में पंचायती हुई परन्तु वे लोग पंचायती नहीं मानी। उसके बाद मेरा लड़का अपनी पत्नी को लाने के लिए वकालतन नोटिस भेजा। जिसका कोई जवाब नहीं आया।

न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में इस साक्षी ने बतायी है कि मेरी बहू मेरे पोते को लेकर रितेश कुमार के साथ भाग गई है। मेरी बहू रितेश कुमार से दूसरी शादी की है अथवा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। यदि मेरी बहू आ जाती है, तब भी हमलोगों उसे रखने के लिए तैयार है। मेरा एक पोता है। मेरा बेटा और बहू एक साथ एक वर्ष रहे थे।

(7). आवेदक साक्षी सं0-2 गौतम कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह मुकदमा मैं अपनी पत्नी के विरुद्ध सेक्सन-09 के लिए लाया हूँ। मेरी शादी दिनांक- 23.03.2023 को शशि कुमारी, पिता- बालो साव, ग्राम- अलीगंज, जमुई के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। शादी में बारात गई थी। शादी के बाद शशि कुमारी विदा होकर मेरे घर आयी थी और वह एक वर्ष तक रही थी। इस दौरान मेरी पत्नी मोबाईल से रितेश कुमार से बात करती थी। मैंने उसे बात करने पर मना किया था तथा उसकी शिकायत उसके माता-पिता को किये थे, परन्तु वह नहीं मानी। दोनों पक्षों के बीच पंचायती हुई परन्तु पंचायती की बात नहीं मानी। दोनों के दांपत्य जीवन से एक बच्चा आर्यन कुमार हुआ। मेरा बच्चा बहुत बीमार था, जिसका ईलाज हमलोग कराये थे। उसके बाद मैं मजदूरी करने के लिए चला गया और बच्चे का दवा लाने के लिए मेरी माँ तरछा से बाजार चली गयी तब शशि कुमारी दिनांक-26.12.2024 करीब तीन बजे दिन में मेरे बच्चे एवं जेवर, गहना लेकर भाग गयी। काफी खोजबीन किये परन्तु कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमलोग शशि कुमारी के घर फोन किया तब पता चला कि वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, वह उसी लड़के रितेश कुमार के साथ चली गयी है। दोनों पक्षों के बीच ग्राम-अलीगंज धनमा में पुनः पंचायती हुई, परन्तु वे लोग पंचायती नहीं माने। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए वकालतन नोटिस भेजा तथा परन्तु विपक्षी द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया।

न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में इस साक्षी ने बताया है कि मेरी शादी दिनांक-23.03.2023 को हुई थी। हमदोनों पति-पत्नी एक साथ एक वर्ष रहे थे। उसके बाद मेरी पत्नी रितेश कुमार के साथ चली गयी। हमदोनों के दांपत्य जीवन से एक बच्चा है, जो मेरी पत्नी लेकर चली गयी। मेरी पत्नी रितेश कुमार के साथ दूसरी शादी कर ली है। मेरी पत्नी मेरे साथ रहने से मना कर दी है।

(8). अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में प्रतिवादी पर्याप्त तामिला होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुई और न ही उसकी ओर से वादी के वाद का किसी प्रकार से विरोध किया गया और न ही प्रतिवादी की ओर से मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख पर वादी एवं उसकी ओर से प्रस्तुत कुल दो साक्षी हैं। आवेदक साक्षी सं0-01 टुन्नी देवी एवं आवेदक साक्षी सं0-2 ने न्यायालय के समक्ष अपने-अपने साक्ष्य में कहे हैं कि आवेदक गौतम कुमार की शादी दिनांक 23.03.2023 को शशि कुमारी के साथ उसके मायके ग्राम-अलीगंज, थाना- चन्द्रदीप, जिला- जमुई के साथ दोनों परिवारों की उपस्थिति में प्रचलित में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह हुई। आवेदक की ओर से शादी का कार्ड दाखिल किया गया है जो अभिलेख में उपलब्ध है। शादी के बाद वह आवेदक के घर तरछा

आयी। आवेदक की पत्नी अपने प्रेमी रितेश कुमार से बातचीत करती थी। आवेदक अपनी पत्नी से सम्पर्क करने की कोशिश किया, लेकिन वह आने से इंकार कर दी। आवेदक अपनी पत्नी को दो बार वकालतन नोटिस भेजा, लेकिन इनकी पत्नी ने उस नोटिस का कोई जबाव नहीं दिया। वकालतन नोटिस के बाद पंचायती कराने हेतु दिनांक- 28.12.2024 को आवेदक अपने माता व अन्य ग्रामीणों को विपक्षी के ग्राम-अलीगंज धनमा पंचायती करने के लिए गये और पंचायत किये लेकिन विपक्षी आवेदक के साथ रहने से साफ इंकार कर गई। विपक्षी पंचायत का भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई तब लाचार होकर आवेदक ने यह मुकदमा किया। आवेदक अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हैं। आवेदक ने विपक्षी को दो बार वकालतन नोटिस भेजा है, जिसकी प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है। आवेदक के कथनों का समर्थन आवेदक साक्षी सं0-1 एवं 2 ने अपने-अपने साक्ष्य में किये हैं तथा न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न में साक्षी सं0-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गौतम की शादी शशि कुमारी के साथ 2023 में हुआ था। गौतम का बारात ग्राम- अलीगंज धनमा, थाना-चन्द्रदीप, जिला-जमुई गया था। गौतम की पत्नी ससुराल आयी थी। गौतम कुमार की पत्नी मोबाईल पर किसी दूसरे लड़का से बात करते रहती थी। गौतम अपनी पत्नी को समझा कर अपने साथ रखने के लिए भी तैयार है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी, आवेदक की विवाहिता पत्नी है। वाद एकपक्षीय होने के कारण विपक्षी द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का विपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का साक्ष्य अखंडित साक्ष्य है। विपक्षी बिना किसी कारण के अपने पति के घर नहीं रह रही है। हिन्दु रीति-रिवाज के संस्कार के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना होता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं बनता है।

अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी का वैध विवाह सम्पन्न हुआ था तथा दोनों कुछ अवधि तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहे। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी वर्तमान में वादी से अलग रह रही है। प्रतिवादी द्वारा अलग रहने का कोई वैध एवं पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं किया गया है।

आ दे श

उपरोक्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों के अवलोकन एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के विवेचना के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक वाद को साक्ष्यों के अभिसंभाव्यता के मानक पर साबित करने में सफल रहा है और विपक्षी बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के दाम्पत्य जीवन व्यतीत नहीं कर रही है और विपक्षी बिना किसी पर्याप्त कारण से आवेदक के घर का परित्याग कर दाम्पत्य सुखों से वंचित कर दिया है। इस प्रकार आवेदक दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापना की डिक्री

न्यायालय : श्री सर्वेन्द्र प्रताप सिंह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय शेखपुरा

वैवाहिक पुनर्स्थापना वाद सं0– 17/2025

(गौतम कुमार––––बनाम–––शशि कुमारी)

प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आवेदक गौतम कुमार द्वारा विपक्षी शशि कुमारी के विरूद्ध धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाखिल दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना का वाद एकपक्षीय स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी शशि कुमारी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर वादी के साथ वैवाहिक गृह में जाकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करे तथा अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करें। कार्यालय नियमानुसार डिक्री तैयार करें।

दिनांक 08–06–2026

निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित एवं
हस्ताक्षरित कर आज खुले न्यायालय में
उद्घोषित किया गया।

(सर्वेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
शेखपुरा ।
दिनांक 08–06–2026

(सर्वेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
शेखपुरा।
दिनांक 08–06–2026

Date of Judgment/ Order	08.06.2026
Date of Reserving Judgment/ Order	25-05-2026
Uploading Date	12.06.2026
Uploaded by	Smita Kumari (Hindi Stenographer)